एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद,
हरियाणा - 121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
दूरभाष सं. : 0129-2588110, फैक्स नं. : 0129-2278018
वेबसाइट: www.nhpcindia.com, ई-मेल आईडी:
companysecretary@nhpc.nic.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विज़ुअल संसाधनों ("ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नांकित कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 माना जाएगा।

सामान्य कार्य :

1. निम्नलिखित पर विचार करना और उसे स्वीकार करना :

   क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां; और

   ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) (डीआईएन 05332456) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो क्रमावर्ती सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।

4. श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) (डीआईएन 02889021) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो क्रमावर्ती सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), नियमावली 2014 (उस समय प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा तत्संबंधी पुनःअधिनिगमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है;

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य करने और कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इन प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने के लिए आवश्यक, उचित अथवा लाभकारक हों।"

विशेष कार्य :

6. श्री अभय कुमार सिंह (डीआईएन 08646003), को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को **एक साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि संस्था के अंतर्नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, श्री अभय कुमार सिंह (डीआईएन 08646003), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 24 फरवरी, 2020 से अपर निदेशक के रूप नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को

उनसे लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है कि वे स्वयं को कंपनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करते हैं और एतदद्वारा उन्हें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर क्रमावर्ती सेवानिवृत होने के पात्र हैं।

7. श्री यमुना कुमार चौबे (डीआईएन 08492346) को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को **एक साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि संस्था के अंतर्नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के अनुसार, श्री यमुना कुमार चौबे (डीआईएन 08492346), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक (तकनीकी)के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 01 अप्रैल, 2020 से अपर निदेशक के रूप नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को उनसे लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है कि वे स्वयं को कंपनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करते हैं और एतदद्वारा उन्हें कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर क्रमावर्ती सेवानिवृत होने के पात्र हैं ।

निदेशक मंडल के आदेश से

(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

दिनांक: 01 सितंबर, 2020
पंजीकृत कार्यालय:
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

टिप्पणियाँ:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 14/2020, 17/2020 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार, कंपनियों को किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना केवीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का पात्र सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा।
4. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी,इसलिए एजीएम के स्थान का रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
5. अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसरण में एजीएम में किए जाने वाले विशेष कार्य व्यापार से संबंधित विवरण इसके साथ संलग्न है।
6. अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार, श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) (डीआईएन: 05332456) और श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त) (डीआईएन 02889021) बैठक में क्रमावर्ती से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने की वजह से, स्वयं को पुनःनियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री निखिल कुमार जैन और श्री महेश कुमार मित्तल का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल क्रमशः 06 फरवरी, 2022 तथा 30,सितंबर, 2020 तक है । कंपनी का निदेशक मंडल शेष कार्यकाल के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है। एजीएम में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियम 36 के तहत अपेक्षित है, इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का भाग है।
7. परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जानी है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिन)/कंपनी के पास पंजीकृत

हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके नाम शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय की समाप्ति तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं। सदस्यगण ध्यान दें कि एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

8. वे सदस्य जिन्होंने अब तक अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम के साथ शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) उपलब्ध कराते हुए इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) या आरटीए (ईमेल आईडी: balaji.reddy@kfintech.com)/ कंपनी (ईमेल आईडी: agm2020@nhpc.nic.in) (भौतिक होल्डिंग के मामले में) के साथ पंजीकृत करें ताकि कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार प्राप्त कर सके।

9. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता और अनुबंधों और व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा नोटिस के भेजने की तारीख से एजीएम की तारीख तक नि:शुल्क इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य कंपनी सचिव को अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए

agm2020@nhpc.nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। लेखों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 को या उससे पहले Investcellnhpc@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी को लिखें। इसका उत्तर कंपनी द्वारा उचित रूप से दिया जाएगा।

10. वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से सोमवार, 21 सितंबर, 2020 से गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 तक agm2020@nhpc.nic.in पर अपना अनुरोध भेजकर स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता और सुचारू संचालन के आधार पर स्पीकर की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

11. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

12. निदेशक मंडल ने 07 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 11.80% (लाभांश वितरण कर को छोड़कर 1.18 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसे मार्च, 2020 में भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने 27 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 3.20% (0.35 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि अंतिम लाभांश वार्षिक आम बैठक में घोषित होता है तो, इसका भुगतान करने के लिए कंपनी ने सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में नियत किया है। सदस्य, जिनका नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थियों की सूची में शामिल है, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे। अंतिम लाभांश, यदि

एजीएम में घोषित किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा।

13. इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से उन सदस्यों को अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए डाक सेवाओं के सामान्य होने पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से भुगतान उनके पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा। जिन सदस्यों की शेयरधारिता भौतिक रूप में है, उनसे परिपत्रों के अनुसार समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) मोड का विकल्प चुनने का अनुरोध किया जाता है। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) या आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) के साथ अपने केवाईसी विवरण को सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपडेट करें।

14. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य होगी और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना अपेक्षित होगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों - केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (भौतिक मोड में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट मोड में धारित शेयर के मामले में) के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा और / या अपडेट करें।

क. स्थायी निवासी शेयरधारकों के लिए:

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए लाभांश की राशि पर आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत 7.5% की दर से टीडीएस काटा जाएगा, बशर्ते शेयरधारकों द्वारा वैध पैन पंजीकृत किया गया हो। यदि वैध पैन पंजीकृत नहीं है, तो आईटी अधिनियम की धारा 206एए के तहत 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

(ii) तथापि, स्थायी निवासी व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कुल लाभांश वितरित या वितरित होने की संभावना 5,000/- रुपए से अधिक नहीं है ।

(iii) ऐसे मामले में जहां शेयरधारक वैध फॉर्म 15जी देता है (व्यक्तियों के लिए, कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है और आय अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है) या फॉर्म 15एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बिना किसी शुल्क के कुल आय पर कर देयता), तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा ।

(iv) स्थायी निवासी बीमा कंपनियों के मामले में, यह घोषणा प्रस्तुत करने पर कि वे धारित शेयरों के लाभकारी स्वामी हैं, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा ।

(ख) अनिवासी शेयरधारकों के लिए:

(i) लागू दरों पर आईटी अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार कर को रोकना अपेक्षित है । आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, देय लाभांश की राशि पर कर 20% की दर से (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) रोक दिया जाएगा । तथापि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, एक अनिवासी शेयरधारक के पास भारत और शेयरधारक के कर निवास वाले देश

के बीच दोहरे कर बचत समझौते ("डीटीएए") के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है, यदि वे शेयरधारक के लिए अधिक फायदेमंद हैं । इस उद्देश्य के लिए, यानी कर संधि का लाभ लेने के लिए, अनिवासी शेयरधारक को निम्नलिखित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे :

(क) भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति;

(ख) देश जिसमें शेयरधारक निवासी है, के कर अधिकारियों से प्राप्त वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वैध);

(ग) फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा;

(i) निम्नलिखित के लिए स्व-घोषणा:

- शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने निवास वाले देश का कर निवासी है और रहेगा;

- शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित लाभांश पर कर विदहोल्डिंग के प्रयोजनों के लिए लाभकारी डीटीएए दर का दावा करने के लिए पात्र है;
- शेयरधारक के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि डीटीएए के लाभों के लिए उसका दावा किसी भी तरह से गलत है;
- शेयरधारक कंपनी में अपनी शेयरधारिता और कंपनी से प्राप्य लाभांश का अंतिम लाभकारी स्वामी है; और
- लागू डीटीएए के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारक की भारत में कोई कर योग्य उपस्थिति या स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

(ii) लाभकारी डीटीएए दर का आवेदन अनिवासी शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

(iii) उपरोक्त के बावजूद, आईटी अधिनियम की धारा 196डी के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भुगतान किए गए लाभांश पर 20% की दर से (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) स्रोत पर कर काटा जाएगा। ऐसी टीडीएस दर कम डीटीएए दर, यदि कोई हो, के लागू होने के कारण कम नहीं की जाएगी।

(ग) टीडीएस छूट/कम कटौती का दावा करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) पोर्टल https://ris.kfintech.com/form15/ पर अपलोड करना अपेक्षित है या ई-मेल द्वारा einward.ris@kfintech.com या investorcellnhpc@gmail.com पर 25 सितंबर, 2020 को भारतीय मानक समय सुबह 11:59 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शून्य/कम कर मामलों के संबंध में उक्त तारीख के बाद शेयरधारकों से कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में या कंपनी द्वारा समीक्षा पर दस्तावेजों को गैर-संतोषजनक पाए जाने पर लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तो शेयरधारक के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए समय पर भुगतान किया गया

अतिरिक्त कर अभी भी वापसी का दावा करने का विकल्प होगा । काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

(ङ) शेयरधारक ध्यान दें कि, चूंकि कर परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थिति पर निर्भर होते हैं, इसीलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लाभांश की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कर प्रभावों के संबंध में अपने स्वयं के कर सलाहकार से परामर्श करें ।

15. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के गैर-भुगतान लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या दावा न किए गए लाभांश, भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किए जाएंगे । ऐसे दावा रहित लाभांशों के संबंध में शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा । तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें । जिन सदस्यों का दावा न किए गए लाभांश/ शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण को www.iepf.gov.in पर उपलब्ध ई-फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें, जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com का एक भाग है ।

16. एक से अधिक फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले, समान नामों में या नामों के एक ही क्रम में संयुक्त होल्डिंग रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाण पत्र एक ही फोलियो में समेकित करने के लिए आरटीए को भेजें ।

17. संयुक्त होल्डिंग के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा । सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ सभी पत्राचार में अपने फोलियो/क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी संख्या का उल्लेख करें ।

18. प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में आरटीए को सूचित करें :

i. स्थायी समाधान के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन ।

ii. भारत में रखे गए उनके बैंक का पूरा नाम, शाखा का नाम, खाता का प्रकार, खाता संख्या, आईएफएससी कोड संख्या और पिन कोड के साथ बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया है।

19.कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य की मृत्यु के कारण हुए परिवर्तनों के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते (खातों) को लंबी अवधि के लिए निष्क्रिय न छोड़ें। होल्डिंग का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

20. सेबी एलओडीआर ,यथा संशोधित, के विनियम 40 के अनुसार , प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल 1 अप्रैल, 2019 से डीमैट रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तदनुसार, भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमैट रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इस संबंध में सदस्य सहायता के लिए आरटीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

21.कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुपालन में, किसी सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनके पारिश्रमिक को कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित किए गए तरीके से नियत

किया जाना होता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2020 के पत्र के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कंपनी, नई दिल्ली, मेसर्स लोढ़ा एंड कंपनी, कोलकाता और मेसर्स अरोड़ा वोहरा एंड कंपनी, जम्मू को संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी के सदस्यों ने 23 सितंबर, 2019 को आयोजित अपनी 43वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया था। निदेशक मंडल ने 67 लाख रूपए की राशि वार्षिक लेखा परीक्षा फीस के रूप में अनुमोदित की है, जिसमें 63 लाख रूपए की राशि एकल वित्तीय विवरणों की

लेखापरीक्षा और 4 लाख रूपए की राशि समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा तिमाही लेखों की सीमित समीक्षा के शुल्क के प्रति प्रत्येक तिमाही के लिए एकल व समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 23 प्रतिशत की राशि तथा कर लेखापरीक्षा के शुल्क के लिए 30 प्रतिशत की राशि को अनुमोदित किया गया है । उक्त शुल्क में कर, लेवी तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता शामिल नहीं है और इसे संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पारिश्रमिक के तौर पर समान रूप से साझा किया जाएगा । सदस्य बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु उचित पारिश्रमिक पर विचार करने तथा उसे निर्धारित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं।

22. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी रूप में एक दूसरे से संबंधित नही है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग और एजीएम के संबंध में सदस्यों को सूचना :

1. प्रासंगिक नियमों, सेबी एलओडीआर के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में किए जाने वाले कंपनी के कार्यों के संबंध में कंपनी रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है । इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने एनडीएसएल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है । एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट देने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी ।
2. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है ।

3. सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे । वे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उनके लिए एजीएम का नोटिस केवल सूचना प्रयोजन के लिए माना जाए ।

4. सदस्यों द्वारा मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार वोटिंग अधिकार होंगे । सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी डाल सकते हैं जब उनके पास उस तारीख को शेयर हों ।

5. निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए श्री सुमन कुमार, मैसर्स सुमन कुमार एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली, ई-मेल पता: sumankrcs@gmail.com को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

6. अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन, बैठक की तिथि, अर्थात् 29 सितंबर, 2020 को संकल्प पारित माना जाएगा ।

7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटों के भीतर घोषित किया जाएगा । समेकित स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे । परिणाम को साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा ।

सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश :-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार, 26 सितंबर, 2020 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी** । इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

चरण 1 : एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉग-इन करें।

चरण 2 : एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

चरण 1 पर विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरहोल्डर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें।
4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप से	आपका यूजर आईडी :
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी

	IN300***12****** है।
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12********** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद ईवन नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और ईवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'आरंभिक पासवर्ड' रिट्रीव कर लेते हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग) अपना 'आरंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

      (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'आरंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर सूचित कर दिया जाता है। आपके मेल बॉक्स से एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूंढें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड, मामले के अनुसार, एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'आरंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस के नोट संख्या 8 में उल्लिखित चरणों का पालन करें।

6. यदि आप "आरंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या वह प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/ पासवर्ड?"** (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) पर क्लिक करें।

   ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड रीसेट** करें" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) पर क्लिक करें।

   ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “शर्त एवं निबंधन” पर सहमत पर टिक करें।

8. अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 पर विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें ?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, सक्रिय मतदान चक्र पर क्लिक करें।

2. सक्रिय वोटिंग चक्र पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को “ईवन” देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।
3. उस कंपनी का "ईवन" चुनें जिसके लिए आप वोट देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट होने पर "कन्फर्म" पर भी क्लिक करें।
6. कन्फर्म होने पर, "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश प्रदर्शित होगा।
7. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को कन्फर्म कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1 संस्थागत/ कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं), जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्क्रूटिनाइज़र को sumankrcs@gmail.com पर तथा इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

2 संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लें और मतदान करें।

3 इस बात की कड़ाई से सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता

रीसेट पासवर्ड?" का उपयोग पासवर्ड रीसेट करने के लिए करना होगा ।

4 किसी भी शंका के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800222990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से उनके निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या sonis@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर पर- +912224994545, +912224994559 पर संपर्क कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का भी और एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी ।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया, रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के समान ही है ।
2. केवल वही सदस्य/ शेयरहोल्डर, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे ही एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे ।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उसी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, जिसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है ।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं :

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी । सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों/ सदस्यों के लॉगिन के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके इसे एक्सेस कर सकते हैं । वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का 'ईवन' प्रदर्शित किया जाएगा । कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की व्यस्तता से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं ।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।
3. साथ ही, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी ।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप द्वारा कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/ वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है । इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त व्यवधानों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की सिफारिश की जाती है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण नोटिस के साथ संलग्न

मद संख्या 6

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2020 के आदेश सं. 9/1/2018-एनएचपीसी द्वारा श्री अभय कुमार सिंह (डीआईएन 08646003) को कंपनी के

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 अगस्त, 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। श्री अभय कुमार सिंह ने 24 फरवरी, 2020 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने अगली एजीएम की तिथि तक अधिनियम की धारा 161 के संदर्भ में 24 फरवरी, 2020 से अपर निदेशक के रूप में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अभय कुमार सिंह की नियुक्ति की पुष्टि की थी।

चूंकि श्री अभय कुमार सिंह का अपर निदेशक के रूप में कार्यकाल अधिनियम की धारा 161(1) के अनुसरण में एजीएम के दौरान समाप्त होना निर्धारित है, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों पर उनके निदेशक पद की पुष्टि करने और कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

कंपनी को श्री अभय कुमार सिंह से अधिनियम की धारा 160 के तहत अपेक्षित राशि जमा करने के साथ लिखित में एक नोटिस, कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव, प्राप्त हुआ है। श्री अभय कुमार सिंह अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति, कंपनी में शेयरधारिता, धारित अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता और अन्य विवरण शामिल है, इस नोटिस के साथ अन्यत्र संलग्न है।

श्री अभय कुमार सिंह को और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस के **मद संख्या 6** में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखता है।

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के **मद संख्या 6** में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2020 के आदेश सं. 9/1/2019-एनएचपीसी द्वारा श्री यमुना कुमार चौबे (डीआईएन 08492346) को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के पद पर 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 मई, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है । श्री यमुना कुमार चौबे ने 01 अप्रैल, 2020 को निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है ।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने अगली एजीएम की तिथि तक अधिनियम की धारा 161 के संदर्भ में 01 अप्रैल, 2020 से अपर निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक (तकनीकी) श्री यमुना कुमार चौबे की नियुक्ति की पुष्टि की थी ।

चूंकि श्री यमुना कुमार चौबे का अपर निदेशक के रूप में कार्यकाल अधिनियम की धारा 161(1) के अनुसरण में एजीएम के दौरान समाप्त होना निर्धारित है, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों पर उनके निदेशक पद की पुष्टि करने और कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में उन्हें नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है ।

कंपनी को श्री यमुना कुमार चौबे से अधिनियम की धारा 160 के तहत अपेक्षित राशि जमा करने के साथ लिखित में एक नोटिस, कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव, प्राप्त हुआ है । श्री यमुना कुमार चौबे अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं ।

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति, कंपनी में शेयरधारिता, धारित अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता और अन्य विवरण शामिल है, इस नोटिस के साथ अन्यत्र संलग्न है।

श्री यमुना कुमार चौबे को और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस के **मद संख्या 7** में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखता है ।

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के **मद संख्या 7** में निर्धारित सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है ।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	**श्री अभय कुमार सिंह (डीआईएन 08646003)**	**श्री निखिल कुमार जैन डीआईएन)05332456)**
जन्मतिथि व आयु	08 अगस्त, 1962 58 वर्ष	28 मार्च, 1962 58 वर्ष
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तारीख	फरवरी 24, 2020	फरवरी 7, 2017
योग्यता	उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर (भूतपूर्व क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, दुर्गापुर) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है ।	उन्होंने आईआईटी रुड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री सिंह को जल विद्युत के क्षेत्र में 35 वर्षों का व्यापक अनुभव है । श्री सिंह ने वर्ष 1985 में एनएचपीसी में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में अपना पेशेवर कैरियर शुरू किया । सफलता के जनून और अपेक्षित प्रतिभा रखने वाले, श्री सिंह लगातार उच्च स्तर व पदों को प्राप्त करते रहे । इस अवधि के दौरान वे कई प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े रहे जिन्होंने देश में प्रमुख जल विद्युत विकासकर्ता के रूप में एनएचपीसी की स्थिति को मजबूत्त किया है । उन्होंने टनकपुर, धौलीगंगा, तीस्ता लो डैम स्टेज- IV, पार्बती-II, पार्बती-III और किशनगंगा जैसी परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।	एनएचपीसी में शामिल होने से पहले, श्री जैन एयर इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत थे । श्री जैन को सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में लगभग तीन दशकों का व्यापक व समृद्ध अनुभव है। वह 1988 में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुए थे । उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर और रेल मंत्रालय में कार्यपालक निदेशक (संयुक्त सचिव) के रूप में काम किया है ।

	नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रभारी के रूप में, उन्होंने एनएचपीसी के सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विविधीकरण के प्रयासों का नेतृत्व किया है। एनएचपीसी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, श्री सिंह ने उल्लेखनीय योगदान के साथ संगठन की सेवा की है। श्री सिंह जल विद्युत विकास के सभी पहलुओं में प्रवीण हैं और उन्होंने परियोजना निर्माण के अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र के अलावा परियोजना निगरानी एवं योजना, व्यवसाय विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने संगठन की परियोजना निष्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमेशा नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है।	
अन्य कपंनियों में धारित निदेशक पद	एनएचडीसी लिमिटेड लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	शून्य
सभी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता *	शून्य	**एनएचपीसी लिमिटेड** कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व सतत विकास समिति के सदस्य
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के नियम और शर्तें	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।
वित्त वर्ष	1	9

2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति		
एनएचपीसी में धारित शेयरों की संख्या)31.07.2020)	16,425	शून्य

* केवल वैधानिक समितियों का विवरण ही उपलब्ध कराया गया है ।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	**श्री महेश कुमार मित्तल (डीआईएन 02889021)**	**श्री यमुना कुमार चौबे (डीआईएन 08492346)**
जन्मतिथि व आयु	11 सितंबर, 1960 59 वर्ष	16 मई 1963 57 साल
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तारीख	1 मार्च, 2017	1 अप्रैल, 2020
योग्यता	उन्होंने एम.कॉम (स्वर्ण पदक) और वित्तीय प्रबंधन (प्रीवीअस) में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है । वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के भी फेलो सदस्य भी हैं।	उन्होंने आईआईटी, खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री मित्तल को वित्त, लेखा, कराधान और नियामक मामलों के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है । एनएचपीसी में शामिल होने से पहले, श्री मित्तल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे । उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में निदेशक (वित्त) और हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड में मुख्य लेखा अधिकारी तथा कंपनी सचिव के रूप में भी कार्य किया है।	निदेशक (तकनीकी) के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल होने से पहले, श्री चौबे एनएचपीसी में निगम मुख्यालय के संविदा सिविल विभाग और संविदा ईएंडएम विभाग के प्रभारी व कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे । एनएचपीसी के विभिन्न विभागों जैसे संविदा, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में 34 से अधिक वर्षों तक काम करते हुए, उनके पास अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक हाइड्रो-प्रोजेक्ट के विकास के सभी पहलुओं का अनुभव है और उन्होंने एनएचपीसी के विकास में योगदान दिया है। डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग में 25 से अधिक वर्षों तक कार्य करते हुए उन्होंने पीएफआर/ एफआर/ डीपीआर के लिए योजना और लेआउट इंजीनियरिंग और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक/नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण चरण डिजाइन में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है । उन्हें 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना (हिमाचल प्रदेश), 60

		मेगावाट की कुरिचु परियोजना (भूटान), 231 मेगावाट की चमेरा-III परियोजना (हिमाचल प्रदेश), 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश), 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना (अरुणाचल प्रदेश) जैसी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की योजना और डिजाइनिंग का श्रेय दिया जाता है।
अन्य कपंनियों में धारित निदेशक पद	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2. पीटीसी इंडिया लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
सभी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता*	1. **एनएचपीसी लिमिटेड** क) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व सतत विकास समिति - सदस्य ख) हितधारक संबंध समिति - सदस्य **2 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** क) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति - सदस्य	1. **एनएचपीसी लिमिटेड** क) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व सतत विकास समिति - सदस्य
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	भारत सरकार द्वारा	भारत सरकार द्वारा लिए

और उनके पारिश्रमिक के नियम और शर्तें	लिए गए निर्णय के अनुसार।	गए निर्णय के अनुसार।
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	10	लागू नहीं
एनएचपीसी में धारित शेयरों की संख्या (31.07.2020)	शून्य	शून्य

* केवल वैधानिक समितियों का विवरण ही उपलब्ध कराया गया है।

****